प्रेस नोट

दिनांक-12.11.2022

सराहनीय कार्य जनपद अमेठी पुलिस

"मिशन शक्ति" अभियान के अन्तर्गत अमेठी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करके दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के अभियुक्तों को मा0 न्यायालय द्वारा 25 वर्ष का कठोर करावास व प्रत्येक को 25 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

पुलिस अधीक्षक अमेठी के निर्देशन मे, अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी के पर्यवेक्षण मे महिला सम्बन्धी अपराधो में अपराधियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय मे चल रहे अभियोगों में मानीटरिगं सेल द्वारा प्रभावी पैरवी कर "**मिशन शक्ति**" अभियान के अन्तर्गत अमेठी पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय सुलतानपुर में मु0अ0सं0 206/18 धारा 376डी,323,506 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट थाना मुसाफिरखाना में अभियुक्तगण 1.सोनू पुत्र सहदेव 2. दीनानाथ पुत्र तुलसीराम निवासीगण कटैया नयी बस्ती थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी को दोष सिद्ध कराने में सफलता प्राप्त हुई,परिणाम स्वरुप माननीय न्यायालय ए0एस0जे0-12 सुलतानपुर द्वारा दिनांक 11.11.2022 को 25 वर्ष का कठोर कारावास व प्रत्येक को 25 हजार रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया एवं धारा 376डी व ¾ पाक्सो एक्ट में 25 वर्ष का कठोर कारावास व 25-25 हजार रु0 अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

वादिनी मुकदमा उपरोक्त द्वारा दिनांक 16.08.2018 को समय 04.04 बजे सुबह की तहरीरी सूचना के आधार पर वादिनी के नाबालिक पुत्री के साथ अभियुक्तगण 1.सोनू पुत्र सहदेव 2.दीनानाथ पुत्र तुलसीराम निवासीगण कटैया नयी बस्ती थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी द्वारा जबरजस्ती दुष्कर्म करने की, इस सूचना पर मु0अ0सं0 206/18 धारा 376डी,323,506 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट थाना मुसाफिरखाना पर पंजीकृत होकर विवेचक प्र0नि0 श्री विश्वनाथ यादव थाना मुसाफिरखाना द्वारा विवेचना की गयी,विवेचना के दौरान प्रयाप्त साक्ष्य पाये जाने के उपरान्त आरोप पत्र संख्याः ए-205 दिनांक 11.11.2018 को माननीय न्यायालय प्रेषित की गई।